न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 150/17 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व. हिरालाल सेन निवासी खेमली गांव तह. मावली।
2. श्री प्रवीण पुत्र स्व. हिरालाल सेन निवासी खेमली गांव तह. मावली।
3. श्री सुनील पुत्र स्व. हिरालाल सेन निवासी खेमली गांव तह. मावली।
4. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल पुत्री स्व. हिरालाल सेन निवासी थूर हाल खेमली स्टेशन तह. मावली।
5. श्रीमती मुन्नादेवी पत्नी लक्ष्मीलाल पुत्री स्वत्र हिरालाल सेन निवासी गुडली तह. मावली।
6. श्रीमती सीमा पत्नी शंकरलाल पुत्री स्व. हिरालाल सेन निवासी मीठाराम जी का खेडा, चित्तौडगढ।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारू पिता रता डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
2. श्री प्रकाश पिता नारू डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
3. श्री सुरेश पिता नारू डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
4. श्री रामलाल पिता स्व. गाठालाल डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
5. श्री मोहनलाल पिता स्व. गाठालाल डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली। ....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
–: : निर्णय : :–

दिनांक : 17.12.2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम जुनावास पटवार क्षेत्र खेमली तह. मावली में स्थित है जिसके खेवट खतौनी सं. नयी 315 व पुरानी 266 जिसके खसरा सं. 3473/11 जिसका क्षेत्रफल 1 बीघा 7 बिस्वा हैं।
2. यह कि प्रार्थीगण के पति एवं पिता द्वारा तहसीलदार मावली के समक्ष आराजी सं. 3473 क्षेत्रफल 10 बीघा किस्म बिलानाम के सम्बन्ध में 12/07/1979 को आंवटन अपने नाम कराने के सम्बन्ध में 12/07/1979 को आंवटन अपने नाम कराने के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधीश वल्लभनगर द्वारा दिनांक 27.09.1979 को एक आवंटन पत्र जारी किया और पटवारी खेमली के पास भेजा जिस पर पटवारी खेमली द्वारा दिनांक 10.11.1979 रिपोर्ट कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार वादी एवं उसके पिता को दो जमीन का कब्जा आराजी नम्बर 3473 में से दो टुकडो में दिया गया और मौका पर्चा बनाया गया।
3. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर वादी एवं उसके पिता का अधिकार था प्रतिवादीगण की भूमि भी पास में होने के कारण वादी एवं उसके पिता के द्वारा

विपक्षीगण को उक्त भूमि सिजारे पर दे रखी थी जिसमें विपक्षीगण फसल उगाते थे तथा पैदावार होने पर उपज मे से कुछ हिस्सा मेहनताने के रूप में प्रार्थीगण एवं उसके पिता से प्राप्त करते थे। प्रार्थीगण के पति एवं उसके पिता की मृत्यु दिनांक 24.01.1987 को हो गई तब परिवार की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी सं. 1 पर आ गई और अन्य प्रार्थीगण कि उम्र उस समय काफी कम होने के कारण उक्त भूमि पर खेती करना सम्भव नहीं था इसलिए विपक्षी सं. 1 को उक्त कृषि भूमि सिजारे पर दे दी जिससे वे उक्त भूमि में फसल उगाते थे तथा पैदावार होने पर उपज में से कुछ हिस्सा मेहनताने के रूप में प्रार्थीगण से प्राप्त करते थे।

4. यह कि प्रार्थी सं. 2 व 3 के वयस्क होने पर प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उक्त कृषि भूमि पर सिजारी के रूप में कृषि करने से हटा दिया और प्रार्थीगण स्वयं ही उक्त भूमि पर सुविधानुसार कृषि करने लगे।
5. यह कि प्रार्थीगण 10 दिन पूर्व वर्षा होने पर उक्त कृषि भूमि की सार–सम्हाल करने एवं मक्का की फसल बोने के लिए उक्त कृषि भूमि पर गये तो प्रार्थीगण ने वहॉ पर देखा कि 4–5 ट्रेक्टर फथर पडे है तथा विपक्षीगण उक्त जमीन को ट्रेक्टर से हकवाकर बोने का प्रयास कर रहे है प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण से इस सम्बन्ध में पूछताछ कि तो विपक्षीगण ने कहॉ कि उक्त जमीन पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है हम ही उक्त जमीन को इतने वर्षो से बो रहे है भले ही खाते में नाम तुम्हारा हो परन्तु जमीन पर बोई तो हमारे ही द्वारा की जा रही थी।
6. यह कि विपक्षीगण का उक्त कृषि भूमि में कोई हक हकुक नहीं है फिर भी विपक्षीगण उक्त जमीन पर फसल बोने एवं नाजायज रूप से ताकत के बल पर कब्जा कर प्रार्थीगण को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य कि कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम करना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण को आप न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड रहा हैं।
7. यह कि प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर कृषि करने से रोका गया तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को कारीत होगी जिसका मुद्रा में आंकलन करना सम्भव नहीं है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है तो विपक्षीगण को कोई भी असुविधा नहीं होगी। अतः श्रीमान् से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें।
8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 3473/11 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि मौजा जुनावास तह. मावली में स्थित होना स्वीकार है, लेकिन यह स्वीकार नहीं कि यह आराजी प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की हो। आराजी नम्बर 3473/11 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज भी नहीं हैं। मौजा जुनावास तह. मावली की आराजी नम्बर 3473 में से 9 बीघा भूमि हीरालाल पिता गेहरीलाल जी नाई निवासी खेमली को तारीख 25.09.1979 को नियमों के विपरित आंवटन करने का आदेश दिया गया। यह आवंटन नियमों के विपरित होने से व आंवटी हीरालाल व उनके वारिसान प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा नहीं होने से व हीरालाल के रेलवे विभाग में नौकरी होने से आवंटन को निरस्त कराने हेतु विपक्षी नारू व रामलाल ने द्वारा तारीख 23.10.2017 को जिला कलक्टर उदयपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन हैं। आवंटित भूमि पर हीरालाल व उनके वारिसान का कभी कब्जा नहीं रहा

है। आराजी नम्बर 3473/11 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि के उत्तरी दिशा में विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 3439 से मिला होकर एक ही चक होकर विपक्षीगण के कब्जे में वर्षो से चली आ रही है तथा विपक्षीगण ने अपने कुए से पिलाई कर रहे हैं। पिलाई हेतु विपक्षीगण ने अपने कुए से आराजी नम्बर 3473/11 तक पाइप डाल रखा हैं। विपक्षीगण इस भूमि पर अपने दादाजी के समय से लगातार काबिज चले आ रहे है तथा विपक्षीगण ने इस भूमि में काफी मात्रा में पणा डलवाया है व जे.सी.बी. से समतल कराया है व काफी खर्चा कर आबादान किया है जिसे हिरालाल को आंवटन नहीं की जा सकती है। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार है व विवादित भूमि विपक्षीगण के नाम नियमन होने योग्य हैं। विपक्षीगण को अपने दादा के समय से जिस आराजी पर कब्जा चला आ रहा है उसके आराजी नम्बर 3473/11 है जो विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 3439 से मिली हुई होकर चारो तरफ विपक्षीगण का पत्थर का कोट बना हुआ है जिसके पडोस पूर्व में – सतु पिता मगन भारती की जमीन, पश्चिम में – अमरा, वकता पिता परथा जी की जमीन, उत्तर में – भगा, खुमा पिता लाला की जमीन एवं दक्षिण में – रास्ता स्थित हैं।

9. विवादित आराजी व विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी मिली होकर एक चक में होकर विपक्षीगण के दादा के समय से विपक्षीगण काबिज चले आ रहे है व काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि प्रार्थी व उसके पिता द्वारा विपक्षीगण को उक्त भूमि सिजारे पर दे रखी हो व विपक्षीगण सिजारे से असल उगाते हो व पैदावार लेते हो व कुछ हिस्सा प्रार्थी व उनके पिता को प्राप्त होता हो। विस्तृत जवाब उपर दिया जा चुका हैं। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु सन् 1987 में हो गयी हैं। प्रार्थीगण का यह कहना कि प्रार्थीगण की उम्र कम होने के कारण उक्त भूमि पर खेती करने हेतु विपक्षी नम्बर 1 को सिजारे पर दी हो व विपक्षी सिजारे पर काश्त कर रहे हो बल्कि विपक्षीगण अपने दादा के समय से काबिज चले आ रहे है जिसका विस्तृत उल्लेख उपर किया जा चुका हैं। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि विपक्षीगण को सिजारे नही दी है अतः सिजारे से हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है न है, विस्तृत जवाब उपर दिया जा चुका हैं।

10. प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, न कभी मक्का व अन्य फसल बोने के लिए उक्त भूमि पर आये है बल्कि विवादित आराजी विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी से मिली होकर एक ही चक में है जिसके चारो ओर विपक्षीगण बाउण्ड्रीवॉल बना रखी है व विपक्षीगण इस पर अपने दादा के समय से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्य अंकित किये हैं। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है न प्रार्थीगण के पिता हीरालाल जी का कब्जा रहा हैं। अतः प्रार्थीगण को उपयोग–उपभोग से मेहरूम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विवादित भूमि पर विपक्षीगण काबिज चले आ रहे है व काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसका विस्तृत उल्लेख विपक्षीगण द्वारा उपर किया गया हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

11. यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं न प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा है ऐसी अवस्था में कृषि करने से रोके जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण

के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य हैं।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नम्बर 3473/11 गैर खातेदारी की है इसलिए प्रार्थीगण को दावा लाने का अधिकार नहीं हैं। इसी आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने से प्रार्थीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को परेशान व जलील करने की नियत से कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे विपक्षीगण को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंची हैं। अतः विपक्षीगण प्रार्थी से विशेष हर्जे–खर्चे के 25,000/– पच्चीस हजार रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा विपक्षीगण को प्रार्थीगण से विशेष हर्जे खर्चे के 25,000/– रूपये दिलाये जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

13. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2009 (1) Page 204 पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता हिरालाल को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से दिनांक 02.04.80 को गैर खातेदारी हक से आंवटन हुई हैं। भूमि पर आंवटन दिनांक से ही मौके पर काबिज होना बताया हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण गैर खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण गैर खातेदारी रूप से दर्ज हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए हैं। इसलिए उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

15. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं। उक्त

भूमि प्रार्थीगण के पिता हीरालाल को उपखण्ड कार्यालय वल्लभनगर से दिनांक 02.04.80 को गैर खातेदारी हक से आंवटन हुई, तभी से भूमि पर प्रार्थीगण के पिता हीरालाल व उनके मरने के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार नही हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं। इसलिए प्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते हैं। विपक्षीगण का यह कथन है कि शुरू से ही विपक्षीगण के मौरूस का उक्त भूमि पर कब्जा रहा हैं। प्रार्थीगण को गलत आंवटन हो गई हैं। प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज होने से प्रार्थीगण को उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नहीं हैं।

16. सर्वप्रथम यह देखना है कि विपक्षीगण के आपत्ति स्वरूप क्या प्रार्थीगण गैर खातेदार होने से धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद लाने के अधिकारी है अथवा नहीं ? इस हेतु **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 अवैध बेदखली के विरूद्व निषेधाज्ञा के तहत् निम्न प्रावधान है कि कोई आसामी जिसके भूमि–क्षेत्र या भूमि–क्षेत्र के भाग पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण किये जाने की धमकी दी जाती है, शाश्वत निषेधाज्ञा की स्वीकृति के लिए दावा दायर कर सकता हैं।** अब प्रश्न यह रहा है कि प्रार्थीगण आसामी है अथवा नहीं ? **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 14 (ग) गैर खातेदार आसामी की श्रेणी में प्रार्थीगण आते हैं। इसलिए प्रार्थीगण आसामी होने से प्रार्थीगणों को धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद दायर करने का पूरा अधिकार है एवं वाद निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं।** प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुवे हैं। प्रार्थीगण गैर खातेदार आसामी होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। यदि आसामी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो आसामी गैर खातेदार के अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं गैर खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जो न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की गई है, उनका हमने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण उकत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3473/11 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 5 कब्जा नहीं करे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 17:25:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: